न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 52/2015

वादी :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-53 वर्ष निवासी हाल-मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास मौजा-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मिठू पुत्र जफरू
2. पप्पु पुत्र छोटू
3. दाखू पत्नि छोटु
4. रेखा पुत्री छोटू
   नाबालिग जरिये कुदरती
   वलिया माता दाखु पत्नि छोटू
5. सोहन पुत्र जफरू
6. भंवरू पुत्र लाला
7. देवी पुत्र लाला
8. गोपाल पुत्र लाला
9. खीमा पुत्र लाला
10. उमराव पत्नि लाला
11. अहमद पुत्र मला
12. प्रेमी पत्नि अलादीन
13. साबूदीन पुत्र मिश्रु
14. राधा पत्नि मिश्रु
15. गीता पुत्री मिश्रु
16. बाना पुत्री मिश्रु
17. घीसा पुत्र लादू
18. सौकीन पुत्र हेमा
19. सलीम पुत्र पीरू
20. जीवणी बेवा पीरू
21. मंजू पुत्री पीरू
22. सुल्तान पुत्र करणा
23. नजीर पुत्र नसीबा
24. गुलाब पुत्र नसीबा
25. भीमा पुत्र नसीबा
26. गाजी पुत्र रामा
27. मोटा पुत्र रामा
28. सुवा पुत्र हजारी
29. कचरू पुत्र हजारी
    जातियान-मेहरात,निवासी-भीवगढ़ (रास), तहसील-जैतारण (पाली)
30. मैसर्स रायपुर सिमेन्ट कम्पनी प्रा0लि0 10ए, अमर विजय कॉम्पलेक्स, होटल मानसिंह के पास, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर
    मार्फत महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक हाल-बांगड़ सीमेन्ट, रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

31. तहसीलदार, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.17/04/2015**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 02/05/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लांट बांगड़ सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा–रास, तहसील–जैतारण में स्थापित हैं, कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर मैनेजर श्री अमरीश कुमार शर्मा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद पत्र के साथ पेश की हैं। जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा–भींवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1902 रकबा 31–04 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके हैं। जिसमें 245/640 हिस्से का वादी कम्पनी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 30 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। सभी हिस्सेदारों के मध्य मौके पर भूमि अलग–अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी कब्जा व काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 1902 रकबा 31–04 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में 245/640 हिस्से की भूमि यानि 11 बीघा 18 बिस्वा 17 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी कम्पनी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग–अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1902 रकबा 31–04 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में 245/640 हिस्से की भूमि यानि 11 बीघा 18 बिस्वा 17 बिस्वांसी कृषि भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 08/03/2015 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 31 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि में लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण संख्या 4 नाबालिग हैं उनके विरूद्ध वाद-पत्र लाने बाबत् आदेश 32 नियम 1 सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। बिनायवाद दिनांक 08/03/2015 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भींवगढ़ (रास) में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी में वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, एवं दस्तावेजात, जमाबन्दी मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी स्वयं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं, लिहाजा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पक्षकारानों में वादी के हिस्से का बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-भींवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1902 रकबा 31-04 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/338 दिनांक 30/03/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/17/1847 दिनांक 01/05/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–भींवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1902 रकबा 31–04 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	कमलकिशोर नवाल HUF मार्फत कमलकिशोर नवाल पुत्र घनश्याम कौम–माहेश्वरी नि0 हंसनगर अजमेर रोड़–ब्यावर, सोहन पुत्र जफरू, सोहन पुत्र जफरू, रेखा पुत्री छोटू, रेखा ना.बा. की वली माता दाखु पत्नि छोटू, उमराव पत्नि लाला कौम–मेरात सा. देह, प्रकाश दवे पुत्र मदनलाल दवे जाति–ब्राह्मण निवासी–गायत्री नगर अजमेर रोड़–ब्यावर, देवी गोपाल पि0 लाला कौम–मेरात सा.देह, रायपुर, सीमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. 10ए अमरविजय कॉम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचंद्र रोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिध महावीर चौपड़ा पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा, अहमद पुत्र मला मेरात सा. देह प्रकाश दवे पुत्र मदनलाल दवे कौम–ब्राह्मण सा0 गायत्री नगर अजमेर रोड़–ब्यावर, जिला–अजमेर, घीसा पुत्र लाडू, प्रेमी पत्नि अलादीन, राधा पत्नि मिसरू, साबुदीन पुत्र मिसरू, गीता बाना पुत्रियाँ मिसरू, सोकीन पुत्र हेमा कौम–मेरात सा. देह, रायपुर, सीमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. 10ए अमरविजय कॉम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचंद्र रोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिध महावीर चौपड़ा पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा, पीरू पुत्र जंवत, सुल्तान पुत्र करणा नसीबा पुत्र वजीरा, सुवा कचरू पि0 हजारी, गाजी मोटा पि0 रामा कौम–मेरात सा0 ढ़ाणी भींवगढ़ खातेदार।	1902	19-05-00	बा0दो0	4.81 रू.
2	श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति–ब्राह्मण उम्र–53 वर्ष निवासी हाल – मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास खातेदार।	1902/1	11-19-00	बा0दो0	2.99 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 02/05/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)